# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– गंगाधर मीणा (R.A.S.)

| अपील प्रा0 पत्र सख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 04 / 2021 | 08.02.2021 | 18.02.2022 |

उनवान

1. गुड्डी देवी पत्नी श्री प्रेमप्रकाश जाति अहीर ग्राम खरखंडा तहसील धारूहेडा जिला रेवाडी हरि0।

–: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत पुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुर प0 स0 तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. बीरमती पत्नी पूर्ण सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कैरवा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: रेस्पोडेन्ट

## –: निर्णय :–

दिनांक :– 18.02.2022

1. **प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र रहा कि :–**
   1. यह है कि अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पचायत पुर प0 स0 कोटकासिम की आज्ञा दिनांक 05.04.2013 जिसमें नामान्तकरण सं0 2001 ग्राम पुर है।
   2. यह है कि नामान्तकरण सं0 2001 निर्णय दिनांक 05.04.2013 ग्राम पंचायत पुर के ग्राम पुर की बाबत है। जिसमें वास्तविक वाक्यात यह है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पुर के आराजी खसरा नम्बर 461/1.18, 232/0.20 है0 किता 2 रकबा 1.38 है0 सालिम भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 थी जिसने अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उक्त आराजी की बेचान दिनांक 14.03.2013 को अपीलान्टा के हक में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा हस्तान्तरण कर दी और प्रतिफल की राशि उसी दिन विक्रेताणी ने से लो थी तथा बैयनामा के दिन ही क्रेताणी (अपीलान्टा) को कब्जा संभला दिया था। वक्त खरीद के दिन से ही मिन अपीलान्टा उपरोक्त आराजीयात पर बतौर काबिज खातेदार काश्तकार है।
   3. यह है कि नामान्तकरण संख्या 2001 ग्राम पुर ग्राम पंचायत पुर को दर्ज करते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा और जमाबन्दी का कतई अवलोकन नही किया और ना ही अपने न्यायिक व लिपिकीय ज्ञान के बिना मनमाने तरीके से उपरोक्त नामान्तकरण में प्रविषठियो दर्ज की और तो और भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी उसी दिन यानि दिनांक 25.03.2013 को ही मिलान कर दिया और अंकित कर दियागया कि जमाबन्दी की जॉच के अनुसार अंकन सही है तथा मातहत ग्राम पंचायत पुर ने भी बिना ज[illegible] बिना बैयनामा के अवलोकन के ही अपना आदेश पारित कर दिया जो [illegible] अधिकारो के विरूद्ध है और ये नितान्त ही आलोच्य आदेश है इस आदेश से [illegible] अपीलान्टा काफी प्रीज्युडिस है इसलिये मातहत ग्राम पंचायत पुर के निर्णय दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध यह अ[illegible] करनी लाजिम आई है। जो आदेश निरस्त कर अपील अपीलान्ट [illegible]कार फरमाई जानी [illegible] आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:02:19 IST
Reason: SelfAttested

4. यह है कि इस गलत इन्द्राज व आदेश की जानकारी मिन अपीलन्टा को सर्वप्रथम दिनांक 29.01.2021 को समय हुई जब पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये लेने गई जिस सर्वप्रथम जानकारी से अपील अपीलान्टा अन्दर अवधि पेश की जा रही है। फिर भी दफा 05 कानूनी मियाद अधिनिय का प्रार्थना पत्र अलग से समय सीमा कन्डोन करने के लिये पेश किया जा रहा है।

5. यह है कि नामान्तकरण संख्या 2001 निर्णय दिनांक 05.04.2013 वाके ग्राम पुर ग्राम पंचायत पुर द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है और हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। व दीगर वाकेयात वक्त लिखित व मौखिक अर्ज किये जावेगे।

**प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि** अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 05.04.2013 नामान्तकरण संख्या 2001 वाके ग्राम पुर को निरस्त किया जावे तथा मुताबिक बैयनामा अपीलान्टा के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी में अमल दरामद करने क आदेश पारित करने का कृपा करे।

1. प्रार्थिया की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल फोटो प्रति बैयनामा, नकल नामान्तकरण संख्या 2001 ग्राम पुर, नकल जमाबन्दी खसरा नम्बर 461 ग्राम पुर पेश की है।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
3. वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
   अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल में अंकित आराजी जरिये बैयनामा से प्राप्त हुआ है। मुताबिक बैयनामा इन्तकाल दर्ज बिना जॉच करे ही सरपंच ग्राम पंचायत पुर द्वारा स्वीकार कर दिया गया। अरइस प्रकार उक्त आदेश मातहत अदालत हरसूरत में काबिले अपास्त है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय अपील अपीलान्ट स्वीकार होना पाता है।

**–:: आदेश ::–**

न्यायालय अपीलान्टा की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत पुर पं0 स0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 दिनांक 05.04.2013 बाबत इन्तकाल सं0 2001 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, कोटकासिम को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करे।

**(गंगाधर मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**कोटकासिम (अलवर) राज0**

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक **18.02.2022** को मेरे द्वारा [illegible]कर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:02:19 IST
Reason: SelfAttested

**उपखण्ड अधिकारी**
**कोटकासिम (अलवर) राज0**